

प्रेषक,

आयुक्त,
अलीगढ़ मण्डल अलीगढ़ एवं अध्यक्ष,
मण्डलीय समिति अलीगढ़ मण्डल।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
शिक्षा केन्द्र -2 समुदाय केन्द्र
प्रीति बिहार, नई दिल्ली।

पत्रांक: एस०टी० / एन०ओ०सी० / 2014-15

दिनांक: 26-6-14

विषय—अलीगढ़ मण्डल में स्थित माध्यमिक विधालयों को सी०बी०एस०ई०नई दिल्ली से
सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राजाज्ञा संख्या: 1916(1) / 15-7-09-1 (299) / 2007 दिनांक:
14-07-2009 के अनुपालन में मण्डलीय समिति की बैठक दिनांक: 26-06-2014 में लिये गये
निर्णय के अनुसार प्रेम पब्लिक स्कूल इसोली रोड जलेसर एटा को सी०बी०एस०ई०नई दिल्ली
से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण—पत्र में अंकित निम्न प्रतिवन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है।

प्रतिबन्ध—

- 1— विधालय की पंजीकृत सोसायटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 2— विधालय की प्रबन्ध समिति में सम्बन्धित जिले का जिला विधालय निरीक्षक, सदस्य होगा।
- 3— विधालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनु०जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिये
सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र०माध्यमिक शिक्षा परिषद्/बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित
विधालयों में विभिन्न कक्षाओं में निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जावेगा।
- 4— संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जावेगी और यदि पूर्व में
विधालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त है तथा विधालय की सम्बद्धता सैन्ट्रल बोर्ड
आप सैकेन्डरी एजूकेशन नई दिल्ली / कॉन्सिल फार दि इन्डियन स्कूल सर्टिफिकेट
एक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की
तिथि से उ०प्र०माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त
अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
- 5— संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षण्तरं कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं
के कर्मचारियों के अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं
दिये जायेंगे।
- 6— कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हे सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर
माध्यमिक विधालयों के कर्मचारियों की भौति अनुमन्य सेवा निवृत्त का लाभ उपलब्ध कराये
जायेगे।
- 7— राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका
पालन करेगी।

- 8— विधालय निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जावेगा।
- 9— विधालय में अग्नि शमन यंत्र स्थापित कर अग्नि शमन अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे, तथा विधालय की भवन भूमि यदि विधालय के नाम न होतो विधालय के नाम कराये।
- 10— नेशनल बिल्डिंग कोड में प्रावद्यानिक सुरक्षा मानकों का प्रमाण पत्र सम्बन्धित अभियन्ता से प्राप्त कर लिया जाय।
- 11— उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अर्थात् पालन करने में किसी भी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापिस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(टी० वेंकटेश)

मण्डलायुक्त / अध्यक्ष
अलीगढ़ मण्डल अलीगढ़

मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक,
अलीगढ़।

कार्यालय मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, अलीगढ़

पृष्ठांकन संख्या: एस०टी०/ १०/२३ / २०१४-१५ तद् दिनांक:

प्रतिलिपि— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— सचिव, माध्यमिक शिक्षा उ०प्र०शासन, शिक्षा-७ अनुभाग लखनऊ।

2— मण्डलायुक्त, अलीगढ़ मण्डल अलीगढ़।

3— जिलाधिकारी, एटा।

4— शिक्षा निदेशक (मा०) उ०प्र०१८पार्क रोड, लखनऊ।

5— जिला विधालय निरीक्षक, एटा।

6— प्रबन्धक, सम्बन्धित विधालय।

7— गार्ड फाइल।

सचिव / सदस्य एवं
मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक,
अलीगढ़।